हिन्दुस्तान

स्कूलों में 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, नियमावली तैयार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के हाईस्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है।

वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है।

हाईस्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है, वही वेतनमान पुस्तकालयाध्यक्षों का होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से होगी। 100 अंकों के बहुवैल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा।

हाईस्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी

पहली बार राज्य के हाईस्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।